राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक : एफ. 30(1)खा.वि./केरो. आवं./2019 जयपुर, दिनांकः 06.04.2019

<u>आवंटन आदेश</u>

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से माह अप्रैल, 2019 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य को प्राप्त केरोसीन तेल का आवंटन जिलों को आवंटित कर निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार उचित मूल्य की दुकानों द्वारा राशन कार्ड धारियों को वितरण करवायें। विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं को केरोसीन निम्न प्रकार देय होगा :–

1. घरेलू गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ता — शून्य
2. बिना घरेलू गैस कनेक्शन राशनकार्ड धारी उपभोक्ता — 2.5 लीटर प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड

<u>जिला रसद अधिकारी जिले के उप–आवंटन में यह सुनिश्चित करें किः–</u>

1. **पात्र उपभोक्ताओं को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति राशन कार्ड बराबर मात्रा में केरोसीन तेल मिले।**
2. <u>केरोसीन की आपूर्ति प्राथमिकता से विशेष रूप से केवल सुदूर क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों तथा डांग क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों पर की जाए। शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में घरेलू गैस कनेक्शन तथा विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होने के कारण केरोसीन में उत्तरोत्तर कमी की जाए तथा निर्धारित उद्देश्यों ईंधन/रोशनी की पूर्ति हेतु ही केरोसीन की सप्लाई की जाए।</u>
3. जिले को आवंटित केरोसीन तेल की संपूर्ण मात्रा का उठाव सुनिश्चित किया जाये। ऑयल कम्पनी द्वारा थोक विक्रेतावार देय केरोसीन का विवरण राज्य स्तरीय समन्वयक/संबंधित ऑयल कम्पनी द्वारा जिला कलक्टर्स को जारी किया जायेगा।
4. **जिलों को आवंटित केरोसीन का उप आवंटन आदेश आवश्यक रूप से 18.04.2019 तक जारी कर प्रति मुख्यालय को भिजवायें ताकि समय पर उठाव एवं वितरण सुनिश्चित हो सकें।**
5. **विभाग द्वारा पत्र क्रमांक : एफ 30(1)खा.वि./केरोसीन/आवंटन/13 दिनांक 28.01.2013 द्वारा निर्देश जारी किये हुये हैं** कि जिन गैस उपभोक्ताओं के पास गैस कनेक्शन हैं, उनको केरोसीन देय नहीं है। अतः जिले में उपखण्ड/तहसील/दुकानों को केरोसीन आवंटित करते समय उक्त क्षेत्र में जारी राशनकार्डों की संख्या एवं उपलब्ध गैस कनेक्शन की संख्या का पूर्ण ध्यान रखा जावे एवं उसी अनुपात में केरोसीन दिया जावे एवं इसकी आदिनांक (अपडेट) सूचना तेल कम्पनियों एवं रसोई गैस वितरकों से प्राप्त की जावे।
6. <u>लाभार्थी को आवंटन माह हेतु पात्रतानुसार अधिकतम 2.5 लीटर केरोसीन देय होगा। किसी भी माह में निर्धारित मात्रा से अधिक केरोसीन देय नहीं होगा।</u>
7. समस्त जिला रसद अधिकारी यह सुनिश्चित कर ले कि गैस कनेक्शनधारी केटेगरी की सूचना उचित मूल्य दुकानदार को उपलब्ध करवा दी जावे।
8. उचित मूल्य दुकानदारों द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत निर्धारित फार्म जी0 के कॉलम 11 (Remarks) में गैस कनेक्शन का वर्णन अंकित किया जावे, ताकि वितरण पात्रता अनुसार हो।

9. तेल कम्पनियाँ/जिला रसद अधिकारी प्रत्येक माह के अंत में यह सूचना खाद्य विभाग को भिजवायें कि उनके द्वारा किस थोक विक्रेता को कितना केरोसीन आवंटित किया गया है व उसमें से कितनी मात्रा का उठाव हुआ है तथा जिले को आवंटित केरोसीन के विरूद्ध कितना उठाव हुआ है।

10. **औद्योगिक इकाईयों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के इस केरोसीन में से आवंटन नहीं दिया जाना है।**

11. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि **Kerosene (Restriction on use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993** के क्लॉज 3(1) के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित नीले केरोसीन का खाना पकाने एवं प्रकाश व्यवस्था के अलावा अन्य उपयोग प्रतिबंधित एवं दण्डनीय है। इस संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार भी करवाया जावे एवं दुरूपयोग पर कठोर कार्यवाही की जावे।

12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवंटित नीले केरोसीन तेल के मूल्य में चूंकि भारी राज सहायता राशि निहित है, अतः इसका वितरण वैध एवं अधिकृत राशनकार्ड धारकों को ही किया जावे। इसके diversion व दुरूपयोग की संभावनाओं पर नियंत्रण रखा जावे।

13. तहसील क्षेत्रवार, नगरपालिका क्षेत्रवार एवं उचित मूल्य दुकानवार केरोसीन आवंटन को उपभोक्ताओं की जानकारी हेतु जिले की वेब साईट पर प्रदर्शित किया जाये एवं समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार–प्रसार किया जावेगा।

14. *जिला स्तर से उचित मूल्य दुकानदारो को आवंटित किये जाने वाले केरोसीन की मात्रा 220 लीटर (1 ड्रम) के गुणांक में आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें* तथा दुकानवार आवंटन के विवरण की प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रति मुख्यालय का उपलब्ध करावें।

15. अगर कोई जिला केरोसीन समर्पण की सूचना माह की 20 तारीख तक नहीं भेजता है व आवंटित पूरे केरोसीन का उठाव भी नहीं करता है तो संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी।

16. **जिले में शहरी/ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों में किये गये आवंटन/उठाव/वितरण की पृथक–पृथक मासिक सूचना विभाग द्वारा प्रेषित प्रपत्र में भेजें एवं विभागीय पोर्टल पर अद्यतन करें तथा केरोसीन उपआवंटन में निम्न प्राथमिकताओं का विशेष रूप से पालना सुनिश्चित करें :–**

    1. **जिलों द्वारा आवंटित केरोसीन की मात्रा का उप आवंटन शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उठाव/खपत को दृष्टिगत रखते हुए आनुपातिक मात्रा में किया जाए।**
    2. **ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य स्तरीय समन्वयक तेल उद्योग (आईओसीएल) द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन जारी किये जाने के फलस्वरूप जो ग्राम पंचायतें निर्धूम घोषित की जा चुकी हैं, उनमें केरोसीन का आवंटन उत्तरोत्तर कम किया जाए।**
    3. **ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य स्तरीय समन्वयक तेल उद्योग (आईओसीएल) द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन जारी किये जाने के फलस्वरूप जो ग्राम पंचायतें सेचुरेटेड घोषित की जा चुकी है, उनमें भी केरोसीन का आवंटन आवश्यकतानुसार उत्तरोत्तर कम किया जावे।**

उक्त आवंटन सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाकर जिलों को निम्नानुसार आवंटित किया जाता है :-

माह अप्रैल, 2019 के लिए जिलेवार केरोसीन आवंटन
(मात्रा के. एल. में)

क.सं.	नाम जिला	माह अप्रैल 2019 (12 के.एल. के गुणांक में)
1	अजमेर (प्रथम/द्वितीय)	**0**
2	अलवर	**72**
3	बांसवाडा	**264**
4	बांरा	**84**
5	बाडमेर	**312**
6	भरतपुर	**216**
7	भीलवाडा	**24**
8	बीकानेर	**132**
9	बूंदी	**96**
10	चित्तौडगढ़	**36**
11	चूरू	**156**
12	दौसा	**108**
13	धौलपुर	**120**
14	डूंगरपुर	**144**
15	श्रीगंगानगर	**144**
16	हनुमानगढ़	**168**
17	जयपुर (प्रथम/द्वितीय)	**0**
18	जैसलमेर	**24**
19	जालौर	**84**
20	झालावाड़	**72**
21	झुन्झुनू	**24**
22	जोधपुर	**0**
23	करौली	**24**
24	कोटा	**0**
25	नागौर	**348**
26	पाली	**72**
27	प्रतापगढ़	**72**
28	राजसमंद	**132**
29	सवाईमाधोपुर	**96**
30	सीकर	**12**
31	सिरोही	**60**
32	टोंक	**84**
33	उदयपुर (प्रथम/द्वितीय)	**132**
	कुल योग	**3312**

नोट :- एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 9937/2011 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के आदेश दिनांक 04.04.2011 की पालना में जिला जोधपुर का 132 के.एल. कोटा कम किया जाकर जिला टोंक को 132 के.एल. बढ़ा कर दिया गया है।

(रश्मि गुप्ता)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

क्रमांक : एफ 30 (1) खा.वि./केरो. आवं./2019 जयपुर दिनांक : 06.04.2019

प्रतिलिपि निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय,राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. (अ) श्री रविन्द्र गर्ग, कार्यकारी निदेशक, एवं राज्य स्तरीय समन्वयक, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0. जयपुर को भेजकर लेख है कि जिलों को किया गया केरोसीन का उप आवंटन 12 के0एल0 के गुणक में किया गया है अतः कम्पनी वाइज एवं डीलर वाइज ब्रेक अप 12 के0 एल0 के गुणक में ही जारी कर जिलों को आवंटित पूर्ण मात्रा का उठाव कराने की व्यवस्था करावें। कृपया उठाव करायी गई केरोसीन की मात्रा की सूचना प्रतिमाह नियमित रूप से विभाग को भिजवायें तथा जिला दौसा में महुवा क्षेत्र का आवंटन भी सम्मिलित है। **डिपो/टर्मिनल ड्राई होने की स्थिति में विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 19.06.2012 की पालना भी सुनिश्चित करावें।**

   (ब) चीफ प्लांट मैनेजर, द्वारा इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0, (एल.पी.जी) बोटलिंग प्लांट, सीतापुरा जयपुर को भेजकर लेख है कि राज्य के समस्त एल.पी.जी. वितरकों को डी0बी0सी0/एस0बी0सी0 की मोहर (स्टाम्प) राशन कार्डों पर अंकित करने को निर्देशित करें।
4. (अ) समस्त जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि जिलों को किया गया आवंटन मात्रा 12 के0एल0 के गुणक में निर्धारण कर किया गया है व राज्य के समस्त एल0पी0जी0 वितरकों को डी0बी0सी0/एस0बी0सी0 की की मोहर (स्टाम्प) राशन कार्ड पर अंकित करने को निर्देशित करें। विद्यार्थियों को केरोसीन वितरण करते समय संस्था प्रधानो द्वारा जारी विद्यार्थी परिचय–पत्र की सत्यप्रति ली जावें तथा उसका जिला मुख्यालय से आकस्मिक निरीक्षण एवं सत्यापन सुनिश्चित करावें।

   (ब) जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिन जिलों का केरोसीन बढ़ाया/घटाया गया है, संबंधित जिला रसद अधिकारी समानुपातिक आधार पर तदनुसार पुनः उप आवंटित किया जाना सुनिश्चित करावें। जिला रसद अधिकारी उनके जिले को आवंटित केरोसीन का पूरा आवंटन करना सुनिश्चित करें। विभाग के ध्यान में लाया गया है कि अनेक जिला रसद अधिकारियों द्वारा उनके जिले को आवंटित केरोसीन का पूरा आवंटन नहीं किया जाता है तथा शेष केरोसीन को स्वेच्छा से आवंटित करते हैं। यह घोर आपत्तिजनक है, जिससे डायवर्जन होने का अंदेशा भी बना रहता है। अतः आवंटित केरोसीन की मात्रा को एक साथ पूर्ण मात्रा में उप आवंटन कराया जाना सुनिश्चित करे ***साथ ही आदेश के बिन्दु संख्या 12 की अनुपालना में उचित मूल्य दुकानदारो को आवंटित किये जाने वाले केरोसीन की मात्रा 220 लीटर (1 ड्रम) के गुणांक में आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें /*** **उक्त आवंटन विभागीय पोर्टल पर प्राप्त पॉस मशीनों से वितरण की सूचनाओं के आधार पर औसत के अनुसार जिलों को आवंटित किया गया है।** जिला रसद अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय के मध्य उक्त आवंटन के विभाजन हेतु जिला कलक्टर की अनुशंषा से उपभोक्ताओं की संख्या का विभाजन करने के उपरान्त ही आगामी मास से पृथक–पृथक आवंटन किया जायेगा।
5. **निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, शासन सचिवालय को प्रेषित कर निवेदन है कि POS मशीन में उपभोक्ताओं को वितरीत किये जाने वाले केरोसीन की मात्रा की व्यवस्था करने का श्रम करे।**
6. वरिष्ठ प्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पो0 लि0, जयपुर राजस्थान।
7. राज्य प्रमुख (रिटेल), भारत पेट्रोलियम कार्पो0 लि0, जयपुर, राजस्थान।
8. प्रबन्धक, इंडियन ऑयल कॉर्पो0 लि0, पी0डब्ल्यू0डी0 कॉलोनी के सामने, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने स्तर पर अधीनस्थ जिलों के थोक विक्रेताओं को दिये गये आवंटन के उठाव की जिलेवार सूचना भिजवाने की व्यवस्था करें।
9. अध्यक्ष, राजस्थान केरोसीन डीलर्स एसोसिएशन 206, वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर। ई–मेल आई डी nagorarajesh@gmail.com
10. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, उपायुक्त (प्रथम एवं द्वितीय), खाद्य विभाग, जयपुर।
12. सहायक निदेशक (सांख्यिकी), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (ACP), खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

20 सांख्यिकी शाखा/रक्षित पत्रिका।

(रश्मि गुप्ता)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त